"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2013— वैशाख 6, शक 1935

# भाग 3 (1)

## विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निलय कुमार आत्मज श्री सुनील कुमार, आयु-27 वर्ष, निवासी- 42, शाला मार्ग, चौबे कालोनी, रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम बिट्टु कुमार आ. सुनील कुमार दर्ज है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम निलय कुमार आ. सुनील कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब से मुझे निलय कुमार आ. सुनील कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| बिट्टू कुमार<br>(BITTOO KUMAR)<br>आत्मज-श्री सुनील कुमार<br>निवासी-42, शाला मार्ग<br>चौबे कालोनी, रायपुर (छ. ग.)<br>492001 | निलय कुमार<br>(NILAY KUMAR)<br>आत्मज-श्री सुनील कुमार<br>निवासी-42, शाला मार्ग<br>चौबे कालोनी, रायपुर (छ. ग.)<br>492001 |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिलीप कुमार पिता स्व. परसादी राम, आयु-41 वर्ष, निवासी- क्वा नं. -7 जी, सड़क एवेन्यू-डी., सेक्टर-6, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में सेवारत हूं तथा मेरा पर्सनल नं. -154370 है. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड एवं अन्य विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम अंग्रेजी में त्रुटिपूर्ण रूप में अंकित है तथा मेरे नाम के साथ मेरा उपनाम भी दर्ज नहीं है को सुधार कर सही नाम वं सरनेम अंकित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब से मुझे दिलीप कुमार यादव (DILIP KUMAR YADAV) आ. स्व. परसादी राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

| पुराना नाम | नया नाम |
| --- | --- |
| दिलीप कुमार<br>(DILEEP KUMAR)<br>पिता-स्व. परसादी राम<br>निवासी-क्वा नं. 7 जी, सड़क एवेन्यू-डी<br>सेक्टर-6, भिलाई नगर, दुर्ग (छ. ग.) | दिलीप कुमार यादव<br>(DILIP KUMAR YADAV)<br>पिता-स्व. परसादी राम<br>निवासी-क्वा नं. 7 जी, सड़क एवेन्यू-डी<br>सेक्टर-6, भिलाई नगर, दुर्ग (छ. ग.) |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निर्मला वर्मा पिता स्व. रामदयाल वर्मा, आयु-42 वर्ष, निवासी- बी-32, हाऊसिंग बोर्ड, भिलाई, थाना-जामुल औद्योगिक क्षेत्र, तह. व जिला-दुर्ग, (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम निर्मला वर्मा पिता स्व. रामदयाल वर्मा अंकित है को परिवर्तित कर मैं अपना घरेलू नाम मोना वर्मा रख ली हूं तथा मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों व शासकीय-अशासकीय रिकार्ड में अपना नया नाम मोना वर्मा दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब से मुझे मोना वर्मा पिता स्व. रामदयाल वर्मा के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज किया जाये.

| पुराना नाम | नया नाम |
| --- | --- |
| निर्मला वर्मा<br>पिता-स्व. रामदयाल वर्मा<br>निवासी-बी-32, हाऊसिंग बोर्ड, भिलाई<br>थाना-जामुल औद्योगिक क्षेत्र<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | मोना वर्मा<br>पिता-स्व. रामदयाल वर्मा<br>निवासी-बी-32, हाऊसिंग बोर्ड, भिलाई<br>थाना-जामुल, औद्योगिक क्षेत्र<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

# विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2013

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक/593/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश सचदेव द्वारा रोटरी कास्मो वेलफेयर ट्रस्ट, रोटरी क्लब कास्मोपालिटन ट्रस्ट, द्वितीय तल समवेत शिखर, काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्याय अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | लोक न्यास का नाम व पता | : | "रोटरी कास्मो वेलफेयर ट्रस्ट, रोटरी क्लब कास्मोपालिटन ट्रस्ट," द्वितीय तल समवेत शिखर, काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर. |
| 2. | चल संपत्ति | : | 10,000/- रु. नगद |
| 3. | अचल संपत्ति | : | निरंक |

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 13-05-2013 उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09-04-2013 को जारी.

**बी. सी. साहू,**
पंजीयक.

## न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 9 अप्रैल 2013

प्रारूप 04
[ देखे नियम 5(1) ]

[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा ]

क्रमांक /951/प्र. 02/अविअ/2013.— यत: कि श्री मदनमोहन त्रिपाठी आ. श्री पौहारीशरण त्रिपाठी निवासी 74/5, नेहरूनगर ईस्ट, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग द्वारा छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 14-05-2013 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण )

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | लोक न्यास का नाम व पता | : | कृष्णा सोशल एण्ड एजूकेशनल वेलफेयर एकेडमी ट्रस्ट, पता-74/5 नेहरूनगर ईस्ट, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग. |
| 2. | चल संपत्ति | : | पांच लाख रु. |
| 3. | अचल संपत्ति | : | निरंक |

**संजय कुमार दीवान,**
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

---

# अन्य सूचनाएं

## कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कोण्डागांव

कोण्डागांव, दिनांक 28 फरवरी 2013

**[ छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थायें अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत ]**

क्रमांक/स. पको./परिसमापन/2013/103.— कार्यालयीन सूचना पत्र क्र./परि./2013/9 दिनांक 2-1-2013 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को कारण बताओ पत्र सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा 69(2) के तहत प्रेषित कर अवगत कराया था कि अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अकार्यशील होने के कारण निष्क्रिय स्थिति में है तथा सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर साक्ष्य सहित समिति के कारोबार की संचालन प्रक्रिया की स्थिति से अवगत करावें अन्यथा की स्थिति में परिसमापन में लाया जावेगा.

चूंकि उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र के अन्तर्गत किसी भी समिति द्वारा समिति के करोबार प्रक्रिया को निरन्तर बनाये रखने हेतु साक्ष्य सहित प्रमाण पत्र अथवा कोई भी निवेदन प्रस्तुत नहीं करने से मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि निम्न वर्णित सहकारी समितियां भविष्य में कार्य नहीं करना चाहती और निष्क्रिय तथा अकार्यशील है.

अतएव मैं, आशीष कुमार शर्मा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला कोण्डागांव छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्र./एफ.-15/सहकारिता/19/15-2/2012/1/दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित कारणों के आधार पर निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित करता हूं तथा क्रमांक 6 में दर्शित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 28-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की जा रही है.

**संलग्न** :- समितियों की सूची (क्रमांक 01 से 24 तक)

| क्र. (1) | समिति का नाम (2) | पंजीयन क्र. (3) | पंजीयन दिनांक (4) | विकासखण्ड (5) | परिसमापक का नाम (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., सोनाबाल कोण्डागांव. | 471 | 28-09-2002 | कोण्डागांव | श्री ए. के. नामदेव |
| 2. | मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., बरकई माकड़ी. | 446 | 30-06-1999 | माकड़ी | श्री ए. के. नामदेव |
| 3. | आदि. मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., केशकाल. | 03 | 24-10-1983 | केशकाल | श्री बी. मजुमदार |
| 4. | मातृ शक्ति बहु सहकारी समिति मर्या., कोण्डागांव. | 481 | 02-12-2003 | कोण्डागांव | श्री ए. के. नामदेव |
| 5. | गोड़ खनिज सहकारी समिति मर्या., सिंगनपुर केशकाल. | 432 | 25-11-1997 | केशकाल | श्री बी. मजुमदार |
| 6. | प्रा. उप. भं. सहकारी समिति मर्या., केशकाल. | 487 | 23-06-2004 | केशकाल | श्री बी. मजुमदार |
| 7. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गिरोला कोण्डागांव. | 236 | 07-06-1990 | कोण्डागांव | श्री ए. के. नामदेव |
| 8. | आदि. शिक्षित युवा बेरोजगार सहकारी समिति मर्या., बड़ेराजपुर. | 490 | 27-07-2004 | बड़ेराजपुर | श्री बी. मजुमदार |
| 9. | शिक्षित युवा बेरोजगार सहकारी समिति मर्या., बांसकोट. | 489 | 24-07-2004 | बड़ेराजपुर | श्री बी. मजुमदार |
| 10. | युवा बेरोजगार सहकारी समिति मर्या., केशकाल. | 447 | 26-07-1999 | केशकाल | श्री बी. मजुमदार |
| | प्रा. वन उद्यान पौधा बीज खाद सहकारी समिति मर्या., पलारी. | 491 | 02-08-2004 | कोण्डागांव | श्री ए. के. नामदेव |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | रेशम उद्योग सहकारी समिति मर्या., मसोरा कोण्डागांव. | 58 | 28-05-1987 | कोण्डागांव | श्री ए. के. नामदेव |
| 13. | साग-सब्जी फल-फूल उद्यान सहकारी समिति मर्या., केशकाल. | 402 | 16-10-1996 | केशकाल | श्री बी. मजुमदार |
| 14. | प्रा. राजमिस्त्री श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., केशकाल. | 514 | 08-12-2006 | केशकाल | श्री बी. मजुमदार |
| 15. | प्रा. राजमिस्त्री श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., डोगरीगुड़ा. | 535 | 23-01-2008 | कोण्डागांव | श्री ए. के. नामदेव |
| 16. | मं दन्तेश्वरी श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., बंगोली फरसगांव. | 503 | 05-08-2005 | फरसगांव | श्री आर. देवागंन |
| 17. | प्रा. श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., मटवाल कोण्डागांव. | 504 | 12-08-2005 | कोण्डागांव | श्री ए. के. नामदेव |
| 18. | प्र. राजमिस्त्री श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., विश्रामपुरी. | 508 | 31-10-2005 | बड़ेराजपुर | श्री बी. मजुमदार |
| 19. | प्रा. राजमिस्त्री श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., लखपुरी कोण्डागांव. | 510 | 19-05-2006 | कोण्डागांव | श्री ए. के. नामदेव |
| 20. | मानकदई राजमिस्त्री श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., भूमका. | 531 | 29-11-2007 | फरसगांव | श्री आर. देवागंन |
| 21. | ग्रामीण हस्तशिल्प सहकारी समिति मर्या., जोदरापदर. | 408 | 25-01-1997 | कोण्डागांव | श्री ए. के. नामदेव |
| 22. | महिला प्रा. उप. भं. सहकारी समिति मर्या., कोण्डागांव. | 536 | 01-02-2008 | कोण्डागांव | श्री ए. के. नामदेव |
| 23. | ईंट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., बड़ेराजपुर. | 318 | 24-11-1992 | बड़ेराजपुर | श्री बी. मजुमदार |
| 24. | मां शारदा महिला ईंट खपरा सहकारी समिति मर्या., सिंगनपुर. | 518 | 15-02-2007 | केशकाल | श्री बी. मजुमदार |

**आशीष कुमार शर्मा,**
सहायक पंजीयक.

# कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 23 फरवरी 2013

क्रमांक/परि./2013/120.— प्रगति बुनकर समिति मर्या., बिलासपुर पं. क्र. 69 दिनांक 05-06-1989 को सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप संस्था को परिसमापन में लाते हुए परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिससे समिति के सदस्यों की बैठक आहुत कर निर्णय लिया गया है कि समिति को पुनर्जीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियम के तहत कार्य करेगी. इस संबंध में तात्कालिन अध्यक्ष द्वारा 20-20 रुपये के स्टाम्प में संस्था को पुनर्जीवित किये जाने पश्चात्, भविष्य में उपविधि में दिये गये नियमानुसार कार्य करने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है. संस्था के सभी सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर है. सदस्यों के हित में परिसमापक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं, उमेश तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाए, बिलासपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर के द्वारा प्रदत्त अधिकार जो मुझमें वैष्ठित है, का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत प्रगति बुनकर सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर पं. क्र. 69 दिनांक 05-06-1989 विकास खण्ड बिल्हा को पुनर्जीवित करता हूं, एवं आगामी 03 माह तक संस्था के संचालन हेतु निम्नांकित संचालक मंडल को अधिकृत करता हूं.

नामांकित संचालक मंडल

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री लक्ष्मी प्रसाद | अध्यक्ष |
| 2. | श्री रघुबर | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्रीमति बीना बाई | सदस्य |
| 4. | श्री सुरेश देवागंन | -"- |
| 5. | श्री ईश्वर प्रसाद | -"- |
| 6. | श्री रामनाथ | -"- |
| 7. | श्री विजय देवांगन | -"- |
| 8. | श्री रामकिशोर | -"- |
| 9. | श्रीमति सीता बाई | -"- |

यह आदेश आज दिनांक 23-02-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जाता है.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

## कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर

कांकेर, दिनांक 8 मार्च 2013

**[ छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत ]**

क्रमांक/उपकां./परिसमापन/निरस्तीकरण/2013/197.— इस कार्यालय के आदेश क्र./518 दिनांक 05-09-2007 के द्वारा रेशम उद्योग सहकारी समिति मर्या., बाबूकोहका तहसील चारामा, जिला कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 439 दिनांक 08-10-1998 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. डी. कुल्हारा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक , कांकेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं. संस्था की परिसमापक का कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. एन. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 8 मार्च 2013

**[ छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत ]**

क्रमांक/उपकां./परिसमापन/निरस्तीकरण/2013/198.— इस कार्यालय के आदेश क्र./274 दिनांक 05-05-2006 के द्वारा राजीव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., कांकेर, तहसील कांकेर, जिला कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 400 दिनांक 04-09-1996 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. डी. कुल्हारा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कांकेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं. संस्था की परिसमापक का कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. एन. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 8 मार्च 2013

**[ छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत ]**

क्रमांक/उपकां./परिसमापन/निरस्तीकरण/2013/199.— इस कार्यालय के आदेश क्र./274 दिनांक 05-05-2006 के द्वारा तकनीकी एवं निर्माण सहकारी समिति मर्या., कांकेर, तहसील कांकेर, जिला कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 450 दिनांक 11-12-2001 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. डी. कुल्हारा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कांकेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं. संस्था की परिसमापक का कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. एन. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 8 मार्च 2013

**[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]**

क्रमांक/उपकां./परिसमापन/निरस्तीकरण/2013/200.— इस कार्यालय के आदेश क्र./274 दिनांक 05-05-2006 के द्वारा श्री विश्वकर्मा मिस्त्री मजदूर सहकारी समिति मर्या., कांकेर, तहसील कांकेर, जिला कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 452 दिनांक 24-12-2001 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. डी. कुल्हारा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कांकेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं. संस्था की परिसमापक का कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. एन. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया

**बी. एन. वर्मा,**
सहायक पंजीयक.

---

## कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 22 जनवरी 2013

क्रमांक/उप्दु/परि./2013/85.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3435, दिनांक 1-12-1995/बी. एस. पी. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, भिलाई नगर, पंजीयन क्रमांक 36 संस्था का परिसमापक श्री आर. सी. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री आर. सी. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक का सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग को बी. एस. पी. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, भिलाई, पंजीयन क्रमांक 36 संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-1-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 6 मार्च 2013

क्रमांक/उपंदु./परिसमापन/2013/283.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंदु/परी./2011/828 दुर्ग दिनांक 01-07-2011 के द्वारा बी. एस. पी. कर्मचारी अपना घर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., भिलाई, पंजीयन क्रमांक 36 का परिसमापक श्री एच. एल. साहू, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-5/2013/15-1 रायपुर दिनांक 15-02-2013 द्वारा श्री हेमलाल साहू, सहकारी निरीक्षक दुर्ग, को वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाकर कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ. ग. रायपुर का आदेश क्रमांक/स्थापना-1/2013/1256 रायपुर दिनांक 19-02-2013 के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम में वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के पद पदस्थ किए जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री हेमलाल साहू, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग के स्थान पर श्री ए. के. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को बी. एस. पी. कर्मचारी अपना घर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. भिलाई पंजीयन क्रमांक 36 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06-03-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 6 मार्च 2013

क्रमांक/उपंदु./परिसमापन/2013/284.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंदु/परी./2011/825 दुर्ग दिनांक 01-07-2011 के द्वारा शास्त्री नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., भिलाई, पंजीयन क्रमांक 42 का परिसमापक श्री एच. एल. साहू, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-5/2013/15-1 रायपुर दिनांक 15-02-2013 द्वारा श्री हेमलाल साहू, सहकारी निरीक्षक दुर्ग, को वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाकर कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ. ग. रायपुर का आदेश क्रमांक/स्थापना-1/2013/1256 रायपुर दिनांक 19-02-2013 के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम में वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के पद पदस्थ किए जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री हेमलाल साहू, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग के स्थान पर श्री ए. के. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक दुर्ग को शास्त्री नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 42 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06-03-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 6 मार्च 2013

क्रमांक/उपंदु./परिसमापन/2013/286.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंदु/परी./2011/831 दुर्ग दिनांक 01-07-2011 के द्वारा लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिकोला, दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 104 का परिसमापक श्री एच. एल. साहू, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-5/2013/15-1 रायपुर दिनांक 15-02-2013 द्वारा श्री हेमलाल साहू, सहकारी निरीक्षक दुर्ग, को वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाकर कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ. ग. रायपुर का आदेश क्रमांक/स्थापना-1/2013/1256 रायपुर दिनांक 19-02-2013 के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम में वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के पद पदस्थ किए जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री हेमलाल साहू, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग के स्थान पर श्री ए. के. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. सिकोला, दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 104 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06-03-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 6 मार्च 2013

क्रमांक/उपंदु./परिसमापन/2013/287.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंदु/परी./2011/827 दुर्ग दिनांक 01-07-2011 के द्वारा दुर्ग जिला पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 107 का परिसमापक श्री एच. एल. साहू, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-5/2013/15-1 रायपुर दिनांक 15-02-2013 द्वारा श्री हेमलाल साहू, सहकारी निरीक्षक दुर्ग, को वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाकर कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ. ग. रायपुर का आदेश क्रमांक/स्थापना-1/2013/1256 रायपुर दिनांक 19-02-2013 के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम में वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के पद पदस्थ किए जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री हेमलाल साहू, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग के स्थान पर श्री ए. के. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को दुर्ग जिला पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 107 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06-03-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**कमलनारायण काण्डे,**
उप पंजीयक.

दुर्ग, दिनांक 6 मार्च 2013

क्रमांक/उपंद./परिसमापन/2013/285.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परि./2013/31 दुर्ग दिनांक 09-01-2013 के द्वारा बालाजी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., खुर्सीपार जोन-2, भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2041 का परिसमापक श्री एच. एल. साहू, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-5/2013/15-1 रायपुर दिनांक 15-02-2013 द्वारा श्री हेमलाल साहू, सहकारी निरीक्षक दुर्ग, को वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाकर कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ. ग. रायपुर का आदेश क्रमांक/स्थापना-1/2013/1256 रायपुर दिनांक 19-02-2013 के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम में वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के पद पदस्थ किए जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री हेमलाल साहू, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग के स्थान पर श्री ए. के. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को बालाजी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. खुर्सीपार जोन-2, भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2041 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06-03-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2013

क्रमांक/उपंद./परिसमापन/2013/336.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1611, दिनांक 22-08-2000 के द्वारा नवसाक्षर बेकरी उद्योग सहकारी समिति मर्या., दादर 2, पंजीयन क्रमांक 2554 का परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पाटन को नियुक्त किया गया था. श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पाटन का स्थानांतरण महासमुन्द हो जाने के कारण वह महासमुंद में पदस्थ हो गये उनके स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग को नवसाक्षर बेकरी उद्योग सहकारी समिति मर्या., दादर 2, पंजीयन क्रमांक 2554 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-3-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**डी. एल. राम,**
सहायक पंजीयक.

---

## कार्यालय, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक
### कर्मचारी प्राथमिक सहकारी साख समिति मर्या., धमधा पंजीयन क्रमांक-2729

धमधा, दिनांक 22 मार्च, 2013

क्रमांक/परिसमापन/2013/क्यू/प्रेस विज्ञप्ति.— छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(2) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि कर्मचारी प्राथमिक सहकारी साख समिति मर्या., धमधा, पंजीयन क्रमांक -2729 के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे प्राप्त नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास संस्था का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंपेगे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होगे.

**शोभा गुप्ता,**
परिसमापक.

---

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.